

**विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री पवन कुमार सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तरालेख।**

| प्रश्न                                                                                                                                                                                                                  | उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27-(क) क्या समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर, विकास खण्ड-सिधौली के ग्राम अलमापुर में बारात घर न होने से ग्रामीणों को शादी विवाह व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है? | <p>अतिपिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत विकास योजनान्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण कराया जाता है, जिसमें विवाह संस्कार, अन्य सांस्कृतिक आयोजन सम्पन्न कराये जाने के साथ-साथ रोजगार प्रशिक्षण, कृषि उपज का वितरण तथा बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के अवसर पर इन केन्द्रों का उपयोग किया जाता है।</p> <p>सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने के लिए यह मानक निर्धारित है कि उस ग्रामसभा की अनुसूचित जाति की आबादी कम से कम 25 प्रतिशत हो। सामुदायिक केन्द्र बनाए जाने हेतु दो श्रेणियां निर्धारित हैं-</p> <p>1-जहां कम से कम 500 वर्ग मी0 निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो।</p> <p>2-जहां कम से कम 1050 वर्ग मी0 निःशुल्क भूमि उपलब्ध हो।</p> <p>निदेशक, समाज कल्याण को उक्त मानकों के आधार पर परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं एवं मा. सदस्य को भी अवगत करा दिया गया है।</p> |
| (ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निदान हेतु बारातघर/सामुदायिक केन्द्र का निर्माण करायेंगे ?                                                                                                                               | योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले ग्रामों के प्रस्ताव के अनुसार आगणन कार्यदायी संस्था से तैयार कराते हुए, सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये जाते हैं। तत्पश्चात बजट की उपलब्धतानुसार प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ग) यदि हाँ, तो कब तक ?                                                                                                                                                                                                 | उपरोक्तानुसार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?                                                                                                                                                                                                | उपरोक्तानुसार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Digitally signed by  
ASIM KUMAR ARUN  
(असिम कुमार अरुण)  
Date: 05-08-2025  
राज्यमंत्री (स्वतंत्र)  
16:38:38